



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 1,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-130/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अकबर खां पुत्र नजीर खान निवासी मो0 मंजूर नगर थाना खजुराहो जनपद छतरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी चन्द्रप्रकाश  
गोस्वामी



विवेचक-  
उ0नि0 धनन्जय सिंह



पैरोकार- थाना राठ  
का0 संजीत कुमार